

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-09092025-266020
SG-DL-W-09092025-266020प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8]	दिल्ली, अगस्त 29—सितम्बर 4, 2025, बृहस्पतिवार/भाद्र 7—भाद्र 13, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 207
No. 8]	DELHI, AUGUST 29—SEPTEMBER 4, 2025, THURSDAY/BHADRA 7—BHADRA 13, 1947	[N.C.T.D. No. 207

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

फा.सं. 3/8/2019—न्यायिक/अधीनविधि/1650-1653.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 की धारा 6 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा भारतीय पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड नॉर्दर्न रीजन, 14 भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली से संबद्ध पादरी लाजी पॉल, को क्रिश्चियन विवाह लाइसेंस प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय क्रिश्चियनों के मध्य विवाह संपन्न कराए जा सकें तथा विवाह का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके, जो दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 04.03.2028 तक आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अनीता दयाल, उप सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd September, 2025

F. No. 3/8/2019-Judl./ Suptlaw/1650-1653.—In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord approval to grant of Christian Marriage License to Pastor Laji Paul, attached with The Indian Pentecostal Church of God Northern Region, 14 Bhai Vir Singh Marg, New Delhi to solemnize marriages between Indian Christians within the National Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage for a further period of three years with effect from 05.03.2025 to 04.03.2028.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ANITA DAYAL, Dy. Secy.